निर्णय ब इजलास कुन्तल विश्नोई आर.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण संख्या 1/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

सर्वेश शुक्ला पुत्र रामकृष्ण शुक्ला निवासी श्री गिरधर वाटिका, श्री गिरधर गोपाल जी के मंदिर के सामने देवयानी तीर्थ परिक्रमा मार्ग सांभरलेक, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 10/02/2025**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि सर्वेश शुक्ला द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 24.01.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर देवयानी तीर्थ मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बाबत भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने के संबंध में नमक का स्टोरेज हटाने व अन्य सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों चाही गयी–

(अ) आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/2024/356 दिनांक 23/05/2024 के प्रक्रम में दिनांक 23/01/2025 तक की गई कार्यवाही की दस्तावेज प्रति।

(ब) आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/2024/357 दिनांक 23/05/2024 के प्रक्रम में दिनांक 23/01/2025 तक की गई कार्यवाही की दस्तावेज प्रति।

(स) देवयानी तीर्थ परिक्रमा मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने के लिए किये गये दिनांक 23/01/2025 तक किये गये उपायों की रंगीन फोटो व विडियो की प्रति।

(द) आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक सामान्य/शिकायत/2023/1173 दिनांक 28/07/2023 में महाप्रबंधक सांभर साल्ट लिमिटेड को कानूनी कार्यवाही की जाने की हिदायत दी गई थी। 28/07/2023 से 23/01/2025 तक आपके कार्यालय द्वारा सांभर साल्ट लिमिटेड के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही की समस्त प्रमाणित प्रति।

(य) यदि 28/07/2023 से 23/01/2025 के बीच आपके कार्यालय की ओर से सांभर साल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है तो कार्यवाही नहीं किये जाने के कारणों की जानकारी दी जावे।

(र) पिछले 10 साल में सांभर साल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा राजस्थान सरकार को लीज के पेटे यदि कोई राशि जमा कराई गई होत तो ऐसी लीज राशि जमा कराये जाने के बाद राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई रसीद की काउन्टर फाइल की प्रमाणित प्रति।

(ल) यदि सांभर साल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड ने पिछले 10 सालों में लीज पेटे राशि जमा नहीं कराई हो तो आपके कार्यालय द्वारा यह राशि प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही की प्रति।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

(व) राजस्थान सरकार और साल्ट कम्पनियों के बीच हुए एग्रीमेंट की मूल प्रति किस कर्मचारी के पास है। उसकी जानकारी दी जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 31.01.2025 को संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

3. हमने प्रार्थी के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा जिसमें चाही गई बिन्दूवार सूचना दस्तावेजी सूचना चाहने हेतु अंकित किया गया है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2025/292 दिनांक 10.02.2025 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी। परन्तु भेजी गई सूचना के अवलोकन से जाहिर है कि चाही गई सूचना प्रथम अपील पेश करने के बाद दी गई है। अतः अपील का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उक्त प्रकरण में यदि कोई सूचना दिये जाने से शेष है तो तत्काल उपलब्ध करावें तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों में निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराई जावे।

4. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

5. निर्णय आज दिनांक 10/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अपीलीय अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (तृतीय),
जयपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर